



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-17

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254759 दिनांक 25/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Dayaram Choudhary S/o JAGDEESH NARAYAN JAT	श्री मेहरान दास पुत्र श्री सुमेर राम	305	90.00 SQ. METER	JDA	KHUSAR VISTAR YOJANA	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	जविप्रा की योजना खूसर विस्तार के भूखण्ड संख्या 305 क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का आवंटन सह माग पत्र क्रमांक डी-406 दिनांक 20.01.20 को श्री मेहरान दास पुत्र श्री सुमेर राम के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात मेहरान दास द्वारा रजिस्टर्ड मु.आम दिनांक 17.02.2020 को श्री गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री गोपाल लाल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.2025 के द्वारा श्री दयाराम चौधरी पुत्र श्री जगदीश नारायण जाट को कर दिया गया। आवेदक श्री दयाराम चौधरी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Dayaram Choudhary S/o JAGDEESH NARAYAN JAT को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।